न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–7/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/29)

1. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

––कन्टेस्टिंग रेस्पोडेन्ट

2. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
3. हरसहाय पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत सलेमपुरा जरिये सरपंच तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।

––परफार्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्याः–15/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/39)

1. हरीनारायण पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

––कन्टेस्टिंग रेस्पोडेन्ट

2. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
3. हरसहाय पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत सलेमपुरा जरिये सरपंच तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।

––परफार्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्याः–30/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/83)

1. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

2. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवारी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
3. हरसहाय पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवारी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत सलेमपुरा जरिये सरपंच तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।

—–रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्याः–39/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/180)

1. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

—–अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
2. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
3. हरसहाय पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत सलेमपुरा जरिये सरपंच तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।

—–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री शिवसिंह चौधरी, एवं श्री भवानीसिंह एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से**
2. **श्री संजय शर्मा, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 05.06.2024

अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त अपीलों में से दो अपीलें क्रमशः संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/29 एवं जीसीएमएस नम्बर 2023/39 उनवान राधेश्याम बनाम बाबूलाल अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2023 (प्रकरण संख्या 07/2020 उनवान बाबूलाल बनाम ग्राम पंचायत सलेमपुरा) के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 एवं शेष दो अपीलें क्रमशः जीसीएमएस नम्बर 2023/83 एवं जीसीएमएस नम्बर 2023/180 उनवान राधेश्याम बनाम बाबूलाल अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 80 वाके ग्राम सलेमपुरा पर पारित आदेश दिनांक 05.05.2023 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। उपरोक्त

P.T.O.

चारों अपीलों में भूमि विवादग्रस्त एक ही होने एवं चारों अपीलों के तथ्य एक समान होने से चारों अपीलों की एक साथ बहस सुनी गई है। इसलिये चारों अपीलों का निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम सलेमपुरा तहसील लालसोट हाल स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 29 कुल किता 7 रकबा 87 अबीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 30 कुल किता 36 रकबा 60 बीघा 13 बिस्वा व खाता संख्या 34 कुल किता 1 कुल रकबा 0.05 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार जगन्नाथ पुत्र भौरया के स्वर्गवास पर ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा मृतक खातेदार जगन्नाथ के वारिसान क्रमश राधेश्याम, हरिनारायण, हरसहाय, बाबूलाल व मु0 भूली देवी बेवा जगन्नाथ के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 10.07.2008 को सरपंच ग्राम पंचायत सलेमुरा द्वारा स्वीकृत व तस्दीक किया गया। तत्पश्चात् उक्त नामान्तरकरण संख्या 334 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट बाबूलाल ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा के समक्ष एक अपील संख्या 7/2020 असाधारण विलम्ब 11 वर्ष 6 माह 3 दिन के पश्चात् पेश की गई। जिस अपील को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा द्वारा दिनांक 27.01.2023 को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 10.07.2008 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार राहूवास को पुनः वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये गये।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा के उक्त आदेश दिनांक 27.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट राधेश्याम ने एक अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दिनांक 07.02.2023 को पेश की गई जिसके लम्बित रहते हुए तहसीलदार राहूवास द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के आदेश दिनांक 27.01.2023 की अनुपालना में उभय पक्षों को सुनकर आदेश दिनांक 28.04.2023 पारित कर मूल खातेदार जगन्नाथ के वारिसों में से राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ का नाम विलोपित कर शेष वारिसन हरिनारायण, हरसहाय बाबूलाल पुत्रान जगन्नाथ तथा गुलाब उर्फ गोमती पुत्री जगन्नाथ के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश गलत व कानून विरूद्ध पारित किया एवं तहसीलदार राहूवास के उक्त आदेश दिनांक 28.04.2023 की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 04.05.2023 को भरा जाकर दिनांक 05.05.2023 को तहसीलदार राहूवास ने स्वीकार कर दिया। तहसीलदार राहूवास के उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध भी अपीलान्ट राधेश्याम द्वारा अपीलें न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2023 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों को जॉचे बिना कि नामान्तरकरण प्रक्रिया एक सरसरी प्रक्रिया है जो महज राजस्व कर सम्बन्धित प्रविष्टिया है। इससे स्वामित्व उत्पन्न नही होता है तथा उत्तराधिकार का कठिन विवादक, वसीयत या गोद इत्यादि के कठिन बिन्दू नामान्तरकरण प्रक्रिया में निस्तारित नही किये जा सकते बल्कि पीड़ित पक्षकार नियमित वाद

P.T.O.

से ही अनुतोष प्राप्त कर सकते है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा इस कानूनी बिन्दू को महत्व न देकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2023 पारित किया है, जो विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट बाबूलाल ने राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ को गोपीलाल के गोद जाने बाबत कोई गोदनामा पेश नही किया है। महज नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 15.04.1973 पेश किया है जबकि कानूनन नामान्तरकरण के आधार पर राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ को गोपीलाल का गोद पुत्र नही माना जा सकता। उन्होने आगे कथन किया है कि बाबूलाल, हरिनारायण व हरसहाय द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 30/2008 न्यायालय जिलाधीश लालसोट के समक्ष बाबत उद्घोषणा व दुरुती इन्द्राज पेश कर वाद पत्र के मद संख्या 8 में कथन किया गया कि "प्रतिवादी राधेश्याम की खातेदारी में अवैध वल्दियत पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गोपी गलत दर्ज कर रखी है वास्तव में प्रतिवादी राधेश्याम भी मृतक जगन्नाथ का ही पुत्र है। अतः उसकी वल्दीयत भी खातेजात में दुरूस्त किये जाने योग्य है" व अनुतोष के खण्ड (ख) में भी इसी बाबत अनुतोष चाहा है अर्थात वादीगण का स्वीकृत तथ्य है कि हाल अपीलान्ट राधेश्याम स्व. जगन्नाथ का ही पुत्र है जिसका नामान्तरकरण अधीन भूमि में हिस्सा 1/4 है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2023 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान मूल खातेदार जगन्नाथ के 4 पुत्रों के मध्य हुए परिवारिक समझौता पत्र दिनांक 12.02.2008 को पढ़े व समझे बिना कि बाबूलाल को वर्ष 2020 में अपील पेश करने का अधिकार ही नही था क्योकि वह उक्त लिखित व हस्ताक्षरित परिवारिक समझौते से एस्टोप्ड था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य पर भी बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने आगे कथन किया है कि तहसीलदार राहूवास ने इस अहम कानूनी बिन्दु पर गौर नही किया कि नामान्तरकरण संख्या 16 अधीन भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तथाकथित दत्तक पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी में थी या नही जो नामान्तरकरण राधेश्याम को गोपीलाल का दत्तक पुत्र मान कर गलत नामान्तरकरण स्वीकार किया। वास्तविकता राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त ग्राम सलेमपुरा तहसील लालसोट निजामत दौसा सम्वत् 2003 से 2022 अनुसार अपीलान्ट के पूर्व हक अधिकारी भौरिया वल्द रणजीत कौम ब्राहम्ण के कब्जे काश्त व खातेदारी की 108 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी तथाकथित गोपीलाल के खातेदारी में कभी नही रही है। गलत नामान्तरकरण संख्या 16 में अपीलान्ट की वल्दियत गलत अंकित की गई है। इस अहम कानूनी बिन्दु को समझे व जॉच बिना स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 80 गलत व अवैध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 में दिये गये प्रथम श्रेणी के

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

वारिसान राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ का नाम विलोपित करने में अहम कानूनी भूल की गई है और इस आदेश की अनुपालना मे स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 05.05.2023 प्रारम्भ से कानून विरूद्ध व अवैध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 15.04.1973 का हवाला देकर अपीलान्ट राधेश्याम के तथाकथित गोपीलाल का गोद पुत्र बिना कि किसी दस्तावेज पंजीकृत या अपंजीकृत के होते हुए मानने में अहम कानूनी भूल की गई है। नामान्तरकरण संख्या 16 में वर्णित कृषि भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व या पश्चात् में कभी भी गोपीलाल की खातेदारी की भूमि नही रही है तथा अपीलान्ट राधेश्याम कभी भी तथाकथित गोपीलाल के गोद नही गया, ना कोई गोद की रस्म हुई, इसके अतिरिक्त गोपीलाल नाम का कोई भी व्यक्ति अस्तित्व में नही है और ना था। इसलिये नामान्तरकरण संख्या 16 में वर्णित भूमि में जो इन्द्राज राधेश्याम पी.मू. गोपीलाल अंकित किया गया जिसकी वास्तविक वल्दियत पुत्र जगन्नाथ है, जिसकी जॉच किये बिना तहसीलदार राहूवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 को जगन्नाथ के वारिस को अनाधिकृत तौर पर अपने विधिक अधिकारों से कानूनन विरूद्ध वंचित करने में अपने विवेक व उनमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग कर पारित किया गया है, जो आदेश निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी राधेश्याम की तीनों अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 27.01.2023 एवं तहसीलदार राहूवास जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 80 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2023 को खारिज फरमाया जावें एवं नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 10.07.2008 को बहाल किया जावें।

अपीलार्थी हरीनारायण के अधिवक्ता ने भी अपीलार्थी राधेश्याम की अपीलों के तथ्यों का समर्थन करते हुए चारों अपीलें स्वीकार करने एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 27.01.2023 एवं तहसीलदार राहूवास जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 80 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2023 को खारिज फरमाया किये जाने एवं नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 10.07.2008 को बहाल किये जाने का कथन किया है।

रेस्पोडेन्ट बाबूलाल के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलान्ट राधेश्याम अपने पिता जगन्नाथ के जीवनकाल में ही गोपीलाल के यहॉ गोद चला गया था तथा गोपीलाल की मृत्यु के उपरान्त दिनांक 15.04.1973 को नामान्तरकरण संख्या 16 राधेश्याम के हक में ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा तस्दीक किया जा चुका था उसके उपरान्त भी अपीलान्ट राधेश्याम ने सन् 2006 में जगन्नाथ की विरासत में भी स्वयं ने अपना नाम दर्ज करवाकर नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 10.07.2008 तस्दीक करवा लिया जबकि कानूनन एक व्यक्ति को दो व्यक्तियों की विरासत नही मिल सकती इस कारण

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत दोनों अपीलें संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/29 एवं जीसीएमएस नम्बर 2023/39 उनवान राधेश्याम बनाम बाबूलाल स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2023 को निरस्त किया जाता है। उक्त निर्णय निरस्त हो जाने के कारण उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 05.05.2023 स्वतः ही निरस्त है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में निम्न बिदुओं पर विस्तृत जॉच की जाकर तदानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित कर विधि सम्मत कार्यवाही की जावें:-

1. आया कि गोपी नामक कोई व्यक्ति प्रश्नगत भूमियों का खातेदार काश्तकार कभी रहा है अथवा नही ?
2. आया कि राधेश्याम को गोपी की खातेदारी भूमि यदि विधिवत प्राप्त हुई तो क्या वह जगन्नाथ की खातेदारी भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नही? यदि अधिकारी है तो किन विधियों के अनुसार प्राप्त कर सकता है?
3. आया कि गोपी नामक व्यक्ति यदि प्रश्नगत भूमियों का कभी स्वामी नही रहा तो बैनामी सम्पत्ति राजसात योग्य है अथवा नही ?
4. आया कि गोपी नाम का व्यक्ति यदि प्रश्नगत भूमि का स्वामी रहा है तथा नाऔलाद फौत हुआ है तथा कोई गोदनामा भी गोपी द्वारा सम्पादित नही किया गया है तो क्या प्रकरण में एस्चीट एक्ट के प्रावधान लागू होते है अथवा नही?
5. आया कि राधेश्याम को जो भूमि जगन्नाथ की वल्दियत के साथ प्राप्त हुई है, उसका हकत्याग करने का अधिकार राधेश्याम को है अथवा नही? क्या उक्त हकत्याग अब-इनिशियो-वोईड है अथवा नही?

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।